संख्या- 81/2023/1000/छप्पन-2023-31/2016(ए)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2023

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के फेज-1/स्टेज-1 के निर्माण हेतु अर्जित की गई कुल 1239 हैक्टेयर भूमि से प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भू-खण्डों की रजिस्ट्रीकरण के संदेय स्टाम्प शुल्क व अन्य फीस की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-85/ए.एफ.-2023-116/2016 दिनांक 13 जुलाई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के फेज-1/ स्टेज-1 के निर्माण हेतु अर्जित की गयी कुल 1239 हैक्टेयर भूमि से प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भू-खण्डों की रजिस्ट्रीकरण के संदेय स्टाम्प शुल्क व अन्य फीस की निम्नांकित तालिका के अनुसार आगणित धनराशि रू0 16,96,95,500/- (रूपए सोलह करोड़ छियानवे लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5 % के अनुसार रू0 6,36,35,812/- (रूपए छ: करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0 सं0	कुल आरक्षित/ आवंटित प्लाट्स की संख्या	कुल आरक्षित/ आवंटित प्लाट्स भूखण्डों में निहित क्षेत्रफल वर्गमीटर में	गणना
1.	3065	194700	• कुल प्लाट सं0-3065 • कुल क्षेत्रफल-194700 वर्गमीटर X दर 14500 प्रति वर्गमीटर = 2823150000 मालियत X 5 प्रतिशत = रू0 **14,11,57,500/-** कुल देय स्टाम्प शुल्क • 1 प्रतिशत निबन्धन शुल्क = रू0 **2,82,31,500** /- • प्रतिलिपिकरण शुल्क – (अनुमानित 100/- प्रति विलेख के अनुसार कुल विलेख सं0 3065 पर) रू0 **3,06,500/-** • कुल अनुमानित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क व प्रतिलिपिकरण शुल्क = रू0 14,11,57,500 + 2,82,31,500 + 3 ,06,500 = **16,96,95,500/-**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के फेज-1/ स्टेज-1 के निर्माण हेतु अर्जित की गयी कुल 1239 हैक्टेयर भूमि से प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भू-खण्डों की रजिस्ट्रीकरण के संदेय स्टाम्प शुल्क की धनराशि रू0 14,11,57,500/-, निबन्धन शुल्क की धनराशि रू0 2,82,31,500/- तथा प्रतिलिपिकरण शुल्क की धनराशि रू0 3,06,500/- अर्थात कुल धनराशि (14,11,57,500.00 + 2,82,31,500.00 + 3,06,500.00 = 16,96,95,500.00) रू0 16,96,95,500/- (रूपए सोलह करोड़ छियानवे लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5 % के अनुसार धनराशि रू0 6,36,35,812/- (रूपए छ: करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अर्थात रू0 6,36,35,812/- (रूपए छ: करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ बारह मात्र) वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के फेज-1/स्टेज-1 के निर्माण हेतु अर्जित की गई कुल 1239 हैक्टेयर भूमि से प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भू-खण्डों की रजिस्ट्रीकरण के संदेय स्टाम्प शुल्क व अन्य फीस की अनुमोदित धनराशि रू0 16,96,95,500/- (रूपए सोलह करोड़ छियानवे लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 6,36,35,812/- (रूपए छ: करोड़ छत्तीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ बारह मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-100/दस-2023-24, दिनांक 08 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 81/2023/1000(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में अनुमोदित धनराशि रू0 16,96,95,500/- (रूपए सोलह करोड़ छियानवे लाख पन्चानवे हजार पाँच सौ मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कलैक्टर/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

5- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ राजस्व अनुभाग-13.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।